"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जून 2005—ज्येष्ठ 20, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 मई 2005

क्रमांक ई-1-12/2005/एक/2.—श्री शैलेष पाठक, सचिव, महामहिम राज्यपाल को भारत सरकार, विदेश मंत्रालय के आदेश क्रमांक ई/133/3/2005-सीएच (केएमवाय), दिनांक 18-5-2005 द्वारा दिनांक 29-5-2005 से 26-6-2005 तक "कैलाश मानसरोवर यात्रा-2005" हेतु "लायसन आफिसर" नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप उक्त अवधि में श्री आई. सी. पी. केसरी, सचिव, छ. ग. शासन, लोक निर्माण विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सचिव, महामहिम राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

रायपुर, दिनांक 10 मई 200

क्रमांक एफ 1-7/2002/1/6(7).—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय जांच अ[illegible] पद के लिए उच्च न्यायिक सेवा के सुपर टाईम स्केल का वेतनमान रुपये 18400-500-22400 को पुनरीक्षित करते हुए वेतनमान रुपये 2[illegible]0-500-24850 निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 786/वित्त/नियम/चार/20[illegible] दिनांक 28-8-2004 द्वारा सहमति दी गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मि[illegible], सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2005

क्रमांक ई-7/37/2004/2/एक.—श्री डी. के. श्रीवास्तव, भा. प्र. से. कलेक्टर, बस्तर, जगदलपुर को दिनांक 30-5-2005 से 8-6-2005 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही दिनांक 29-5-2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, बस्तर, जगदलपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री श्रीवास्तव के उक्त अवकाश अवधि में सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, बस्तर का चालू कार्य सम्पादित करेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मई 2005

क्रमांक 2162/वि-2/स्था/05.—राज्य शासन एतद्द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र चन्दखुरी, जिला रायपुर को स्थानांतरित कर [illegible] जिला धमतरी में स्थापित करता है.

पंचायत सचिव प्रशिक्षण केन्द्र कुरूद, जिला धमतरी को स्थानांतरित कर अंबिकापुर, जिला सरगुजा में स्थापित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. मिश्रा, विशेष सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2005

क्रमांक एफ 5-17/खाद्य/2004/29.—रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश क्रमांक 309/Confdl/2003 दिनांक 1-10-2003 द्वारा श्री छबिलाल पटेल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी, छत्तीसगढ़ की सेवाएं अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, अंबिकापुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु इस विभाग को सौंपी गई थीं, के अनुक्रम में उन्हें अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रायपुर के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया था. विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 3947/डी-983/21-ब/छ.ग./05 दिनांक 30-4-2005 के अनुक्रम में श्री छबिलाल पटेल की सेवाएं एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को वापिस सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, संयुक्त सचिव.

आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक/एफ-1-7/25-1/आजावि/2004.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के अधीनस्थ अखिल भारतीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र रायपुर, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर एवं जगदलपुर के कार्यालयों हेतु वित्त विभाग की सहमति के उपरांत पद संरचना के अंतर्गत कुल 52 पदों की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान करता है :—

क्र. (1)	पदनाम (2)	वेतनमान (3)	पद संख्या (4)	रिमार्क (5)
1.	संचालक	यू.जी.सी.	01	रायपुर हेतु
2.	अपर संचालक	14300-18300	02	जगदलपुर एवं बिलासपुर हेतु 01-01 पद के मान से.
3.	व्याख्याता	10000-15200	04	रायपुर हेतु 02 पद एवं बिलासपुर एवं जगदलपुर हेतु 01-01 पद के मान से.
4.	अधीक्षक	5500-9000	02	रायपुर एवं बिलासपुर हेतु 01-01 पद के मान से.
5.	शीघ्रलेखक	5500-9000	03	रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर हेतु 01-01 पद.
6.	लेखापाल	4000-6000	02	बिलासपुर एवं जगदलपुर हेतु 01-01 पद के मान से.
7.	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	04	रायपुर हेतु 02 पद, बिलासपुर एवं जगदलपुर हेतु 01-01 पद के मान से.
8.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	03	रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर हेतु 01-01 पद.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	छात्रावास अधीक्षक	5000-8000	03	रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर हेतु 01-01 पद.
10.	ग्रंथपाल	4500-7000	03	रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर हेतु 01-01 पद.
11.	सहायक ग्रंथपाल	3050-4590	03	रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर हेतु 01-01 पद.
12.	भृत्य	2550-3200	05	रायपुर हेतु 03 पद, बिलासपुर एवं जगदलपुर हेतु 01-01 पद के मान से.
13.	वाहन चालक	3050-4590	04	रायपुर हेतु 02 पद, बिलासपुर एवं जगदलपुर हेतु 01-01 पद के मान से.
14.	चौकीदार/फर्राश/रसोईया/जलवाहक.	2550-3200	06	रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर हेतु 02-02 पद.
15.	चौकीदार/फर्राश/रसोईया/जलवाहक.	कलेक्टर दर पर	07	रायपुर हेतु 03 पद, बिलासपुर एवं जगदलपुर हेतु 02-02 पद के मान से.
		योग	52	

2. उपरोक्त पदों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है :

(1) सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा.
(2) आयोजना के सभी पद अस्थायी होंगे एवं आयोजनेत्तर के पद स्थायी होंगे.
(3) पद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नहीं भरे जायेंगे जब तक इस प्रयोजन के लिए वित्त विभाग से पृथक से छूट प्राप्त न कर ली जाए.
(4) चतुर्थ श्रेणी के कोई भी पद (आकस्मिकता-कलेक्टर दर पर) सीधी भर्ती से नहीं भरे जायेंगे.
(5) स्वीकृति ज्ञापन में दर्शाये गए वेतनमान सही हैं और तत्स्थानी वेतन अनुसूची के अनुरूप हैं.
(6) स्वीकृत पदों में नई नियुक्ति नहीं की जा कर क्षेत्रीय अमले का युक्ति-युक्तकरण किया जावेगा.

3. अखिल भारतीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र रायपुर का व्यय मांग संख्या-66-मुख्य शीर्ष-2225-अनु. जाति, अनु. जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-001-निर्देशन और प्रशासन-5279-अखिल भारतीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र रायपुर के अंतर्गत विकलनीय होगा.

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर एवं जगदलपुर का व्यय मांग संख्या-64-मुख्य शीर्ष-2225-अनु. जाति, अनु. जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनु. जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-0102-अनु. जातियों के लिए विशेष घटक योजना-2526-परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के अंतर्गत विकलनीय होगा.

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 152/257/बजट-3/2001 दिनांक 21-3-2005 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शौरी, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मई 2005

क्रमांक एफ-10-7/2004/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा मुख्य विद्युत निरीक्षकालय, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अंबिकापुर में नवीन उप-संभागीय कार्यालय की स्थापना की अनुमति प्रदान करता है. पुनर्गठन पश्चात् संभागीय विद्युत निरीक्षकालय, बिलासपुर के अंतर्गत उप-संभागीय कार्यालय निम्नानुसार होंगे :—

पुनर्गठित उप-संभाग	**उप-संभाग क्षेत्रांतर्गत जिले**
1. उप संभाग, बिलासपुर	1. बिलासपुर, 2. कोरबा
2. उप संभाग, रायगढ़	1. रायगढ़, 2. जांजगीर-चांपा
3. उप संभाग, अंबिकापुर	1. अंबिकापुर, 2. कोरिया, 3. जशपुर

2. अंबिकापुर में नये उप-संभाग स्थापना हेतु पद निर्माण (आवर्ती व्यय) निम्नानुसार होगा :—

क्र.	**पदनाम**	**वेतनमान**	**पद संख्या**
1.	सहायक अभियंता (वि. सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक.	8000-13500/-	01
2.	उप-अभियंता	5000-8000/-	02
3.	सहायक श्रेणी-2	4000-6000/-	01
4.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590/-	02
5.	विद्युतकार	3050-4590/-	01
6.	जांच अनुचर	2740-4450/-	01
7.	भृत्य	2550-3200/-	01
		योग.	09

3. उप संभाग अंबिकापुर के कार्यालय हेतु फर्नीचर (अनावर्ती व्यय) आदि निम्नानुसार होगा :—

क्रमांक	**फर्नीचर/सामग्री**	**नग**
1.	टेबल	05 नग
2.	कुर्सी	05 नग
3.	पेपर ट्रैक	05 नग
4.	पेपर ट्रे	05 नग
5.	फाईल रैक	04 नग
6.	आलमारी	02 नग
7.	जनता चेयर	04 नग
8.	स्टूल	02 नग

4. उपरोक्त नवीन-उप-संभागीय कार्यालय अंबिकापुर की स्थापना के लिए आवर्ती रुपये 6.00 लाख एवं अनावर्ती रुपये 0.50 लाख (कुल रुपये 6.50 लाख) विमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है. यह व्यय मांग संख्या-12-2045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-103-संग्रह प्रभार बिजली शुल्क के अंतर्गत विकलनीय होगा.

5. उपरोक्त व्यय हेतु वित्त विभाग के जावक क्रमांक 739/बजट-5/वित्त/चार/2005, दिनांक 2-5-2005 द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मई 2005

क्रमांक एफ 1-18/31/स्था./ज.सं.वि./2004.—राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित कार्यपालन अभियंताओं (सिविल) को, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर, वेतनमान रुपये 12000-375-16500/- में पदोन्नति करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान में, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र. (1)	कार्यपालन अभियंता का नाम, पद व वर्तमान पदस्थापना (2)	पदोन्नति उपरान्त जहां पदस्थ किया जाना है स्थान (3)
1.	श्री रामानुज पटेल, कार्यपालन अभियंता (रूपांकन), कार्यालय, अधीक्षण अभियंता, भू-जल सर्वेक्षण मंडल, रायपुर.	अधीक्षण अभियंता, (रूपांकन), कार्यालय, मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर.
2.	श्री व्ही. एन. व्ही. नायर, प्रभारी अधीक्षण अभियंता, (रूपांकन), कार्यालय, मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर.	अधीक्षण अभियंता, (रूपांकन) कार्यालय, मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर).
3.	श्री व्ही. एम. गुप्ता, प्रभारी अधीक्षण अभियंता, भू-जल सर्वेक्षण मंडल, रायपुर.	अधीक्षण अभियंता, भू-जल सर्वेक्षण मंडल, रायपुर.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बालकृष्ण शर्मा, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2005

फा. क्र. 4629/1128/21-व/छ. ग./05.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री शेखर राम, अधिवक्ता, कोरबा जिला कोरबा को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष तक की परिवीक्षा अवधि के लिए कोरबा जिले के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र राठौर, उप-सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक 2687 /भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	सोनेसरार प. ह. नं. 18	0.89	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	लमानी व्यपवर्तन के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक 2689/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	नवागांव कला प. ह. नं. 21	2.71	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	मुतेड़ा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर नाली हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2005

क्रमांक 506/वा-1/अ वि अ/भू-अर्जन/5/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	देवभोग	सुकलीभाठा	3.62	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	धूपकोट जलाशय योजना के अंतर्गत नहर नाली निर्माण.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2005

क्रमांक 560/वा-1/अ वि अ/भू-अर्जन/3/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	देवभोग	नागलदेही	3.70	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	धूपकोट जलाशय योजना के अंतर्गत नहर नाली निर्माण.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2005

क्रमांक क/वा.भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. अ-82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	जोता	0.315	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, डिसनेट संभाग क्रमांक-3, तिल्दा.	भाटापारा शाखा नहर की जोता वितरक नहर के माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2005

क्रमांक क/वा.भू. अ./अ.वि.अ./10/प्र. क्र. अ-82/वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	सड्डू प. ह. नं. 109	23.795	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग-1, रायपुर.	कमजोर आय वर्ग/आश्रयहीन हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 25 मई 2005

क्रमांक 06/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	झाल	4.17	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	झाल जलाशय के डुबान में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 मई 2005

क्रमांक 07/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	पंडरभट्ठा	14.45	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	झाल जलाशय के डुबान में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 मई 2005

क्रमांक 08/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	ढोलिया	44.01	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	झाल जलाशय के डुबान में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 मई 2005

क्रमांक 09/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	फरी	28.82	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	फरी जलाशय के डुबान में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 मई 2005

क्रमांक 10/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	रनबोड़	24.00	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	बेलंदहरा जलाशय के डुबान में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 मई 2005

क्रमांक 11/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	बेलदहरा	12.12	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	बेलदहरा जलाशय योजना में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 20 अप्रैल 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	तेतला प. ह. नं. 29	1.566	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	केनसरा जूनायर जलाशय हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अप्रैल 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	केनसरा प. ह. नं. 29	3.516	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	केनसरा जूनाटार जलाशय हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अप्रैल 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	झुलनपाली प. ह. नं. 31	0.784	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	सोड़े[illegible]ना जलाशय के डूबान का [illegible] भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 मई 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सोड़ेकेला प. ह. नं. 31	0.390	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	सोड़ेकेला जलाशय हेतु वेस्टवियर के लिए पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 मई 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सिहा प. ह. नं. 36	0.489	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	सिहा जलाशय हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 मई 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोटरापाली प. ह. नं. 19	0.393	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (सेतु निर्माण) बिलासपुर.	रायगढ़ लोईंग मार्ग के कि.मी. 12/4 पर लोईंग पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 मई 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लोईंग प. ह. नं. 19	0.251	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (सेतु निर्माण) बिलासपुर.	रायगढ़ लोईंग मार्ग के कि.मी. 12/4 पर लोईंग पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक 2690/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-खैरागढ़
(ग) नगर/ग्राम-एटीकसा प. ह. नं. 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.18 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
204/3	0.42
205/1	0.08
203/2	0.13
203/1	0.18
205/2	0.09
198/1	0.02
107/2	0.10
198/2	0.15
198/3	0.13
198/16	0.10
198/4	0.24
198/15	0.25
198/17	0.08
100/1	0.18
100/9	0.03
100/12	0.10
100/25	0.04
198/15	0.03
18	0.10
94	0.30
100/2	0.04
100/7	0.08
107/1	0.03
100/4	0.07
100/10	0.06
100/11	0.10
100/15	0.10
100/16	0.10
100/18	0.30
100/24	0.25
100/17	0.30
योग	4.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पिपरिया जलाशय के अन्तर्गत धारिया माइनर के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 मई 2005

क्रमांक 3576/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-डोंगरगढ़
(ग) नगर/ग्राम-पेन्ड्री, प. ह. नं. 69/8
(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.84 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2/1	0.26
326	0.11

(1)	(2)
325	0.37
328/1	0.20
328/3	0.44
331	0.10
282	0.43
330/2	0.01
350	0.09
351	0.35
258	0.15
427/1	0.20
428	0.52
431	0.26
444	0.26
445	0.02
446	0.18
457	0.09
349/1	0.13
455	0.18
175	0.13
176	0.11
456	0.47
426/1	0.25
462	0.39
465	0.33
466/4	0.26
466/6	0.02
466/7	0.11
380	0.12
381	0.09
281	0.01
243	0.09
250	0.15
254	0.15
244	0.08
251	0.14
249	0.04
222	0.11
221	0.01
469	0.81
245	0.01
246	0.10
177/3	0.05
177/4	0.13
537/1	0.11
406/2	0.35
405/2	0.10
454	0.01
447	0.09
440	0.35
458	0.18
329	0.11
259	0.14
287	0.01
256	0.18
239	0.04
405/4	0.26
467/5	0.20
467/6	0.20
योग 60	10.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पुरैना जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 मई 2005

क्रमांक 3577/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगढ़

(ग) नगर/ग्राम-पुरैना, प. ह. नं. 69/8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.62 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
459/1	0.11

(1)	(2)
1094	0.26
485/1	0.02
528	0.20
534	0.01
529/2	0.05
530	0.03
910	0.02
529/1	0.08
524/3	0.14
617/2	0.14
613	0.08
618/1	0.14
618/2	0.24
871/1	0.09
871/2	0.15
870	0.25
896/1	0.04
905/1	0.11
896/3	0.13
896/4	0.11
921	0.55
920	0.01
904	0.18
907/1	0.15
903	0.05
1104	0.63
905/2	0.10
1097	0.07
1095/2	0.20
1095/3	0.03
1089	0.21
1106	0.05
1108	0.33
1184/2	0.37
614/4	0.24
1099/2	0.01
1099/3	0.10
1099/4	0.12
1099/7	0.02
1091	0.01
1096	0.02
535	0.15
908	0.03
527	0.13
1093	0.16
917/1	0.11
909	0.19
योग 48	6.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पुरैना जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 मई 2005

क्रमांक 3578/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगढ़

(ग) नगर/ग्राम-कसारी, प. ह. नं. 69/8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.62 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
60/1	0.22
284/2	0.36
68	0.18
69	0.18
71	0.13
72	0.40
74	0.32
75	0.28
[illegible]0/2	0.20

(1)	(2)
239/2	0.19
77	0.40
238/1	0.20
239/1	0.04
60/3	0.01
240/1	0.26
76/1	0.07
76/2	0.14
76/3	0.30
240/2	0.01
241	0.40
237/5	0.24
242/4	0.27
283/2	0.02
238/2	0.39
280	0.56
242/3	0.19
284/1	0.37
284/3	0.29
योग 28	6.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पुरैना जलाशय के नहर-नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 मई 2005

क्रमांक 3579/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-डोंगरगढ़
(ग) नगर/ग्राम-नवागांव अनिया, प. ह. नं. 69/8
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.61 एकड़.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
629	0.84
627	0.47
626	0.25
621	0.20
620/2	0.09
622	0.08
747	0.17
652	0.34
791/7	0.24
791/4	0.12
651	0.84
665	0.45
620/3	0.01
740/1	0.09
742	0.44
743	0.25
307	0.17
745/2	0.07
745/3	0.11
791/1	0.03
791/5	0.48
793/1	0.04
793/2	0.21
739	0.47
327	0.07
735	0.06
738/1	0.05
738/2	0.14
729/2	0.03
326	0.24
749/2	0.24
749/3	0.02
749/4	0.26
741/2	0.07
760/3	0.02
759/1	0.16
759/2	0.16
776	0.32
775	0.14
774	0.11

(1)	(2)
325	0.01
620/1	0.02
620/4	0.14
649/6	0.18
740/2	0.12
649/3	0.19
649/5	0.10
741/1	0.22
649/13	0.08
योग 49	9.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पुरैना जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 मई 2005

क्रमांक 3580/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-डोंगरगढ़
(ग) नगर/ग्राम-रूवांतला, प. ह. नं. 9/70
(घ) लगभग क्षेत्रफल-16.59 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
18	0.37
19	0.25
20/1	0.20
20/2	0.21
21/1	0.20
21/3	0.05
35/1	0.26
789/2	0.08
789/3	0.22
789/5	0.05
36	0.02
134/3, 134/4	0.11
38/1	0.31
38/2	0.34
43	0.01
42/1	0.50
45	0.17
76	0.33
85/6	0.78
85/5	1.01
131/1	0.30
133/1	0.16
131/3	0.07
131/6	0.06
131/7	0.18
132	0.07
135/1, 135/3	0.10
799/1	0.35
897	0.06
130/1	0.05
130/3	0.20
254/1	0.04
194/1	0.11
194/3	0.16
193/1	0.12
192/1	0.12
192/3	0.11
196/1	0.12
196/3	0.21
198/1	0.11
894/2	0.01
199/1	0.12
199/2	0.18
247/1	0.07
247/3	0.20
248/1	0.06

(1)	(2)
250/1	0.13
250/3	0.10
251	0.06
255/1	0.04
253/1	0.23
252/1	0.24
262/2, 262/3	0.22
260/1	0.05
261/1	0.03
263/1	0.04
263/3	0.12
264/1	0.02
346/1	0.40
346/3	0.31
789/1	0.40
789/4	0.31
795	0.10
794	0.92
797/1	0.07
797/2	0.39
799	0.64
896	0.36
803	0.22
878/2	0.25
878/1	0.21
877	0.07
885/1	0.21
876/1	0.31
876/3	0.18
886/1	0.24
898/1	0.23
898/2	0.17
894/1	0.17
895	0.28
187/6	0.06
योग 84	16.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पुरैना जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 मई 2005

क्रमांक 3581/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सहसपुर, प. ह. नं. 66/5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.19 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
553/9	0.55
645	0.48
647	0.01
649/2	0.12
644	0.38
648	0.65
योग 6	2.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पुरैना जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से त देशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2005

क्रमांक 507/वा-1/भू-अर्जन/01/अ/82-03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबन्द
- (ग) नगर/ग्राम-चिखली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.82 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
93	0.30
94	0.22
95	0.20
96/1	0.08
96/2	0.02
योग	0.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- धुमरापदर जलाशय के उलट नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2005

क्रमांक 508/वा-1/भू-अर्जन/02/अ/82-03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबन्द
- (ग) नगर/ग्राम-सरनाबहाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.07 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11	0.59
18	0.27
19	0.08
92	0.20
93	0.01
96	0.11
94	0.01
98	0.19
99	0.08
102	0.12
104	0.06
105	0.19
124	0.16
125	0.07
126	0.07
171	0.01
175	0.30
176	0.06
213	0.22
215	0.14
216	0.11
421/1	0.02
योग 22	3.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- धुमरापदर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2005

क्रमांक 505/वा-1/भू-अर्जन/10/अ/82-02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबन्द
- (ग) नगर/ग्राम-परसुली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.336 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
44/1	0.211
68	0.037
91	0.179
48	0.162
50	0.068
65	0.223
49	0.036
69/3	0.009
76/3	0.076
90/1	0.275
90/2	0.034
72/12	0.013
72/7	0.004
72/9	0.009
योग 14	1.336

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- परसुली व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/3 अ/82 वर्ष 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बलौदाबाजार
- (ग) नगर/ग्राम-करदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.060 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
313/1 व	0.603
313/1 ख	0.583
317/1 श 2	0.251
317/1 श्र 8	1.206
317/1 प 1	0.251
312/1 श	0.356
317/1 घ	0.405
317/1 ग	0.405
योग 8	4.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- करदा व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 16 मई 2005

क्रमांक/अ.वि.अ/भू.अ./प्र.क्र. 11/अ-82/वर्ष 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-रायपुर
  (ख) तहसील-तिल्दा
  (ग) नगर/ग्राम-सांकरा
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.384 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
357/2, 356/1, 357/5, 357/1	0.384
योग	0.384

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भूमिया वितरक शाखा नहर के अंतर्गत सांकरा माइनर क्रमांक -2 नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 28 मई 2005

क्रमांक 1593/प्र-1/अ.वि.अ./05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-दुर्ग
  (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
  (ग) नगर/ग्राम-भालूकोन्हा. प. ह. नं. 17
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.78 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
127/2	0.12
103/3	0.02
104	0.02
101	0.08
94/1	0.04
94/2	0.02
97	0.10
54	0.01
56	0.04
55	0.05
65	0.28
योग 11	0.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अन्तर्गत डुड़िया माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) डौंडीलोहारा, मुख्यालय डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 16 मार्च 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/16 अ/82 वर्ष 02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-सिलघट, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.24 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
229	0.04
230	0.04
234	0.03
232	0.02
231	0.04
228	0.03
233	0.04
योग	0.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खारून नदी पर पहुंच मार्ग हेतु पुल निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड पुरानी गंज मण्डी परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2005

क्रमांक/बी-1/2-1/89/04-05/7507.—छ. ग. राज्य की निम्नलिखित कृषि उपज मण्डी समितियों का कार्यकाल दिनांक 14-3-2005 को समाप्त होने के फलस्वरूप, छ. ग. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं उजागर सिंह, प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर एतद्द्वारा, निम्न सारणी के स्तंभ 3 में अंकित कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 4 में दर्शित अधिकारी को दिनांक 15-3-2005 से आगामी आदेश तक की कालावधि के लिये भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं :—

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	मंडी का नाम (3)	नियुक्त भारसाधक अधिकारी (4)
1.	रायपुर	रायपुर	उप-संचालक, कृषि (परियोजना कार्यपालन अधिकारी) रायपुर जिला - रायपुर.
2.		आरंग	सहायक परियोजना अधिकारी, कृषि, आरंग जिला - रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
3.		नेवरा	सहायक परियोजना अधिकारी, कृषि, तिल्दा जिला-रायपुर
4.		बलौदाबाजार	अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, बलौदाबाजार जिला-रायपुर
5.		कसडोल	सहायक परियोजना अधिकारी, कृषि, कसडोल जिला-रायपुर
6.		भटगांव	सहायक परियोजना अधिकारी, कृषि, बिलाईगढ़ जिला-रायपुर
7.		अभनपुर	सहायक परियोजना अधिकारी, कृषि, अभनपुर जिला-रायपुर
8.	महासमुन्द	महासमुन्द	उप-संचालक कृषि, महासमुन्द जिला-महासमुंद
9.		बागबाहरा	सहायक परियोजना अधिकारी, कृषि, बागबाहरा जिला-महासमुंद
10.		सरायपाली	अनुविभागीय, अधिकारी, कृषि, सरायपाली जिला-महासमुंद
11.		बसना	सहायक परियोजना अधिकारी, कृषि, बसना जिला-महासमुंद
12.		पिथौरा	सहायक परियोजना अधिकारी, कृषि, पिथौरा जिला-महासमुंद
13.	कवर्धा	कवर्धा	उप-संचालक कृषि, कवर्धा जिला-कबीरधाम
14.		पंडरिया	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि, पंडरिया जिला-कबीरधाम
15.	जांजगीर	नैला (जांजगीर)	उप-संचालक कृषि, जांजगीर जिला-जांजगीर-चांपा
16.		चांपा	सहायक परियोजना अधिकारी, कृषि, बम्हनीडीह जिला-जांजगीर चांपा
17.		अकलतरा	अनुविभागीय कृषि अधिकारी, पामगढ़ जिला-जांजगीर-चांपा
18.	कोरबा	कटघोरा	अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, कटघोरा जिला-कोरबा
19.	रायगढ़	रायगढ़	उप-संचालक कृषि, रायगढ़ जिला रायगढ़
20.		घरघोड़ा	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, घरघोड़ा जिला-रायगढ़
21.		खरसिया	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, खरसिया जिला-रायगढ़
22.	जशपुर	जशपुर	उप-संचालक कृषि, जशपुर जिला-जशपुर
23.		पत्थलगांव	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, पत्थलगांव जिला जशपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
24.		बगीचा	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बगीचा जिला-जशपुर
25.		कुनकुरी	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कुनकुरी जिला-जशपुर
26.	सरगुजा	अंबिकापुर	उप-संचालक कृषि, अंबिकापुर जिला-सरगुजा
27.		रामानुजगंज	अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, रामानुजगंज जिला-सरगुजा
28.		सीतापुर	सहायक संचालक, कृषि, सीतापुर जिला-सरगुजा
29.		प्रतापपुर	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, प्रतापपुर जिला-सरगुजा
30.		सूरजपुर	अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, सूरजपुर जिला-सरगुजा
31.		कुसमी	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कुसमी जिला-सरगुजा
32.	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, मनेन्द्रगढ़ जिला-कोरिया
33.		बैकुण्ठपुर	उप-संचालक कृषि, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया
34.	बस्तर	जगदलपुर	उप-संचालक कृषि, जगदलपुर जिला-बस्तर
35.		कोण्डागांव	अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, कोंडागांव जिला-बस्तर
36.		केशकाल	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, केशकाल जिला-बस्तर
37.		नारायणपुर	अनुविभागीय अधिकारी कृषि, नारायणपुर जिला-बस्तर
38.	उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	उप-संचालक कृषि, कांकेर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
39.		चारामा	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, चारामा जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
40.		संबलपुर	अनुविभागीय अधिकारी, कृषि भानुप्रतापपुर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
41.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	गीदम	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, गीदम जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
42.		कोंटा	अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, दंतेवाड़ा जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
43.		बीजापुर	अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, बीजापुर जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
44.		भोपालपट्टनम	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, भोपालपट्टनम जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा.

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2005

क्रमांक/बी-1/2-1/89/04-05/7509.—छ. ग. राज्य की निम्नलिखित कृषि उपज मण्डी समितियों का कार्यकाल दिनांक 14-3-2005 को समाप्त होने के फलस्वरूप, छ. ग. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं उजागर सिंह, प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तंभ 3 में अंकित कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 4 में दर्शित अधिकारी को दिनांक 15-3-2005 से आगामी आदेश तक की कालावधि के लिये भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं :—

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	मंडी का नाम (3)	नियुक्त भारसाधक अधिकारी (4)
1.	रायपुर	भाटापारा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भाटापारा जिला-रायपुर
2.		नवापारा	नायब तहसीलदार, नवापारा जिला-रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2005

क्रमांक/बी-1/2-1/89/04-05/7510.—छ. ग. राज्य की निम्नलिखित कृषि उपज मण्डी समितियों का कार्यकाल दिनांक 15-3-2005 को समाप्त होने के फलस्वरूप, छ. ग. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं उजागर सिंह, प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर एतद्द्वारा, निम्न सारणी के स्तंभ 3 में अंकित कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 4 में दर्शित अधिकारी को दिनांक 16-3-2005 से आगामी आदेश तक की कालावधि के लिये भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं :—

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	मंडी का नाम (3)	नियुक्त भारसाधक अधिकारी (4)
1.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	उप-संचालक, कृषि, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव
2.		डोंगरगढ़	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव
3.		डोंगरगांव	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव
4.		बांधाबाजार	अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, अम्बागढ़ चौकी जिला-राजनांदगांव
5.		छुरिया	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, छुरिया जिला-राजनांदगांव
6.		खैरागढ़	अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव
7.		गण्डई	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, छुईखदान जिला-राजनांदगांव

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2005

क्रमांक/बी-1/2-1/89/04-05/7616.—कृषि उपज मण्डी समिति, अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा का कार्यकाल दिनांक 14-3-2005 को समाप्त होने के फलस्वरूप, कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-1/2-1/89/04-05/7506 रायपुर दिनांक 12-3-2005 द्वारा, छ. ग. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कृषि उपज मण्डी समिति, अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा के लिये अनुविभागीय कृषि अधिकारी, पामगढ़ जिला-जांजगीर-चांपा को दिनांक 15-3-2005 से आगामी आदेश तक की कालावधि के लिये भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-जांजगीर-चांपा द्वारा, अपने आदेश क्रमांक/मण्डी/स-4/1025 दिनांक 15-3-2005 से अनुविभागीय अधिकारी कृषि पामगढ़ के वर्तमान में कृषक भ्रमण दल के साथ मुख्यालय से बाहर होने के कारण तत्कालिक व्यवस्था के तहत आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी कृषि जांजगीर को कृषि उपज मण्डी समिति, अकलतरा के भारसाधक अधिकारी पद का प्रभार लेने हेतु आदेशित किया गया है. उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी कृषि जांजगीर द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, अकलतरा के भारसाधक अधिकारी का प्रभार दिनांक 15-3-2005 को ग्रहण कर लिया है.

अत: कलेक्टर जिला-जांजगीर-चांपा के उपरोक्त आदेश दिनांक 15-3-2005 की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है. कृषि उपज मण्डी समिति, अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा के लिये पूर्व में कार्यालयीन आदेश दिनांक 12-3-2005 द्वारा नियुक्त भारसाधक अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी कृषि पामगढ़ के स्थान पर अब अनुविभागीय अधिकारी कृषि जांजगीर आगामी आदेश तक कृषि उपज मण्डी समिति, अकलतरा के भारसाधक अधिकारी होंगे.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2005

क्रमांक/बी-1/2-1/89/04-05/7660.—छ. ग. राज्य की निम्नलिखित कृषि उपज मण्डी समितियों का कार्यकाल दिनांक 23-3-2005 को समाप्त होने के फलस्वरूप, छ. ग. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं उजागर सिंह, प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर एतद्द्वारा, निम्न सारणी के स्तंभ 3 में अंकित कृषि उपज मंडी समितियों के लिये उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 4 में दर्शित अधिकारी को दिनांक 24-3-2005 से आगामी आदेश तक की कालावधि के लिये भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं :—

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	मंडी का नाम (3)	नियुक्त भारसाधक अधिकारी (4)
1.	धमतरी	धमतरी	उप-संचालक कृषि, धमतरी, जिला-धमतरी
2.		नगरी	सहायक परियोजना अधिकारी, कृषि, नगरी जिला-धमतरी

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2005

क्रमांक/बी-1/2-1/89/04-05/7662.—कृषि उपज मंडी समिति, कुरूद जिला धमतरी का कार्यकाल दिनांक 3-2005 को समाप्त होने के फलस्वरूप, छ. ग. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं उजागर सिंह, प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर एतद्द्वारा, कृषि उपज मण्डी समिति, कुरूद जिला-धमतरी के लिये सहायक परियोजना अधिकारी कृषि कुरूद जिला-धमतरी को दिनांक 25-3-2005 से आगामी आदेश तक की कालावधि के लिये भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं.

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक/बी-1/2-1/89/04-05/7700.—छ. ग. राज्य की निम्नलिखित कृषि उपज मण्डी समितियों का कार्यकाल दिनांक 26-3-2005 को समाप्त होने के फलस्वरूप, छ. ग. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं उजागर सिंह, प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर एतद्द्वारा, निम्न सारणी के स्तंभ 3 में अंकित कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 4 में दर्शित अधिकारी को दिनांक 27-3-2005 से आगामी आदेश तक की कालावधि के लिये भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं :—

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	मंडी का नाम (3)	नियुक्त भारसाधक अधिकारी (4)
1.	बिलासपुर	बिलासपुर	उप-संचालक कृषि, बिलासपुर जिला-बिलासपुर
2.		मुंगेली	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली जिला-बिलासपुर
3.		तखतपुर	सहायक परियोजना अधिकारी, कृषि, तखतपुर जिला-बिलासपुर
4.		कोटा	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कोटा जिला-बिलासपुर
5.		लोरमी	सहायक परियोजना अधिकारी, कृषि, लोरमी जिला-बिलासपुर
6.		पेण्ड्रारोड	अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, पेण्ड्रारोड जिला-बिलासपुर
7.		जयरामनगर	सहायक परियोजना अधिकारी, कृषि, मस्तुरी जिला-बिलासपुर

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक/बी-1/2-1/89/04-05/7702.—छ. ग. राज्य की निम्नलिखित कृषि उपज मण्डी समितियों का कार्यकाल दिनांक 28-3-2005 को समाप्त होने के फलस्वरूप, छ. ग. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं उजागर सिंह, प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर एतद्द्वारा, निम्न सारणी के स्तंभ 3 में अंकित कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 4 में दर्शित अधिकारी को दिनांक 29-3-2005 से आगामी आदेश तक की कालावधि के लिये भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं :—

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	मंडी का नाम (3)	नियुक्त भारसाधक अधिकारी (4)
1.	दुर्ग	दुर्ग	उप-संचालक कृषि, दुर्ग जिला-दुर्ग
2.		बालोद	अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, बालोद जिला-दुर्ग
3.		बेमेतरा	अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, बेमेतरा जिला-दुर्ग

उजागर सिंह,
प्रबंध संचालक.